सरीफ बनाम ईस्माईल
2019/00047
निर्णय दिनांकः—26.08.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—02/2019 दर्ज तिथिः—07.01.2019

1. सरीफ पुत्र जीयरा
2. दोसूखां पुत्र हेदरखान
3. भाईखां पुत्र हेदरखान
4. मेहमद खां पुत्र हैदरखान फौत के कायम मुकाम
   4/1 साहेबा पत्नी मोहमद खान
   4/2 हमीरखान पुत्र मोहम्मद खान
   4/3 सोनी पुत्री मोहम्मद खान
   4/4 सोढी पुत्री मोहम्मद खान
   4/5 साल्या पुत्री मोहम्मद खान
   4/6 मारियत पुत्री मोहम्मद खान
   4/7 आसियत पुत्री मोहम्मद खान
   4/8 मैराबाई पुत्री मोहम्मद खान
   जाति मुसलमान,निवासी भलीसर, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

.....वादीगण

बनाम

1. ईस्माउल पुत्र खमीशा
2. गांजी पुत्र चेना
3. ठारू पुत्र चेना
4. बहादुर पुत्र चेना
5. सबोंज पुत्र चेना
6. हाजी पुत्र चेना
7. भलेना पुत्र चेना
8. आमद पुत्र चेना
9. अमानत बैवा चेना
10. मनुखान पुत्र अयुब खान
11. हापत खान पुत्र अयब खान
12. सातल खान पुत्र अयुब खान
13. जीलाखान पुत्र अयुब खान
14. मदाखान पुत्र अयुब खान
15. रूकामत पत्नी अयुब खान
    जाति मुसलमान,निवासी भलीसर, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।
16. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा धोरीमना
17. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना
18. पांधी खान पुत्र अयुब खान
    जाति मुसलमान निवासी भलीसर,तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:18:34 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री देवाराम चौधरी
प्रतिवादीगणः—श्री ओमप्रकाश विश्नोई

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

शरीफ बनाम ईस्माईल
2019/00047
निर्णय दिनांकः–26.08.2025
राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88,53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–26.08.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 402 रकबा 48–06 बीघा,किस्म बा.दोयम वाके ग्राम भलीसर पटवार हल्का भलीसर तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादीगण को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 व 18 बाद तामिल असालतन–वकालतन हाजिर न्यायालय हुए। प्रतिवादीगण संख्या 2 से 16 के सम्मन बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 2 से 16 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादीगण संख्या 1 ने जवाबदावा मय काउन्टर कलैम प्रस्तत किया जो शामिल मिशल किया गया। तत्पश्चात वाद में तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वादी साक्ष्य हेतु नियत की गई ।

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए–

दस्तावेज	संवत/विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	खसरा संख्या 402 मौजा ग्राम भलीसर	प्रदर्श–01
नक्शा	खसरा संख्या 402 मौजा ग्राम भलीसर	प्रदर्श–02
जमाबंदी	खसरा संख्या 402 मौजा भलीसर संवत 2072 से 2075	प्रदर्श–03
बेचान दस्तावेज	खसरा संख्या 402 मौजा भ[illegible] दस्तावेज दिनांक 25.11.2002	प्रदर्श –04 ए
खतौनी बन्दोबस्त	खतौनी बन्दोबस्त खाता संख्या [illegible] ग्राम भलीसर	प्रदर्श–05
खतौनी बन्दोबस्त	प्रथम खतौनी बन्दोबस्त खाता संख्या 91 ग्राम भलीसर	प्रदर्श–06
जमाबंदी	ग्राम भलीसर खाता संख्या 15 संवत् 2051–54	प्रदर्श–07
जमाबंदी	ग्राम भलीसर के खाता संख्या 11 संवत् 2059–62	प्रदर्श–08

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:18:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

मौका जांच रिपोर्ट	ग्राम भलीसर के खसरा संख्या 402 की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 23.01.2019	प्रदर्श—09

4. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

नाम	जाति	निवासी
सरीफ पुत्र जीयरा	मुसलमान	भलीसर

5. प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 ने बिना साक्ष्य प्रस्तुत किये सीधे बहस का निवेदन किया तथा अपने जवाब दावा व काउन्टर क्लैम स्वीकार कर विभाजन किये जाने का निवेदन किया।

6. प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौरान—ए—जिरह विद्वान अभिभाषक वादीगण ने निवेदन किया कि असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अतः उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जावे। तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जावे। दौरान—ए—जिरह विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी ने प्रतिवादी का भी मौके पर कब्जा काश्त एवं वहमी बंटवारा अनुसार रास्ता कायम करते हुए जमाबंदी में दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने का निवेदन किया तथा मौके पर वहामी बंटवारा तथा मौका कब्जा अनुसार के अनुसार बंटवारा किया जाकर वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

7. तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु नियत होने तथा उभय पक्षकारान वकुलाय द्वारा उक्त आराजी के विभाजन हेतु सहमति दिये जाने पर दिनांक 23.02.2024 को प्राथमिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर भू—धारक तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2025/1085 दिनांक 01.05.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अभिभाषकगण उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर कोई आपति प्रस्तुत नहीं की जबकि प्रतिवादी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी वास्ते मौका रिपोर्ट पुनःमंगवाने का प्रस्तुत किया गया जिस पर उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी। दौराने बहस प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 [illegible] कथन किया कि प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एकतरफा बनाई गई है तथा वा[illegible] भूमि को हड़पने के उद्देश्य से नाडी की तरफ काबिज होना चाहता है। जब[illegible] अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि तहसीलदार [illegible] स्थिति में उभयपक्ष को पूर्वसूचित करते हुए न्यायालय द्वारा जारी प्रा[illegible]क डिक्री अनुसार मौका रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत की है जिस पर वादी को कोई आपति नहीं है। प्रतिवादी केवल वाद को लम्बा करने के उद्देश्य से निराधार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 प्रस्तुत किया गया है जिसे खारीज फरमाया जावें। प्रतिवादी संख्या 01 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का आधारहीन होने से खारीज किया जाता है। तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:18:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

धोरीमन्ना द्वारा अपने भू.अ. / 2025 / 1085 दिनांक 01.05.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः–

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 27.03.2025 को तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा मय पटवारी / गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में वादी व समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील धोरीमन्ना के नोटिस क्रमांक 930–955 दिनांक 19.03..2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 27.03.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया गया जाकर तामिल करवाये गए। समस्त पक्षकार मौके पर उपस्थित रहे। उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

8. प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट पर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2072–2075 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 402 / 7.8185 है0,किस्म बा.दोयम वाके ग्राम भलीसर पटवार हल्का भलीसर तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादी की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादी तथा असल प्रतिवादी का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। प्रतिवादी पक्ष की कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपति नहीं होने पर पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा– ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

9. प्रकरण में वादी द्वारातकसीम आराजी के साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:18:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम– स्वामित्व एवं कब्जाः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह– काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

द्वितीय– सुविधा का सन्तुलनः– प्रकरण में वाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार हैं एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय– अपूरणीय क्षतिः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

10. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 01 अन्तर्गत धारा–88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 402/7.8185 है0,किस्म बा.दोयम वाके ग्राम भलीसर पटवार हल्का भलीसर तहसील धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
इस्माईल पुत्र खमीशा जाति मुसलमान सा.भलीसर	1/4	402	1.9243	बा.दो	0.71	पीला
सरीफ पुत्र जीयरा दौसू पुत्र हैदरखान भाईखान पुत्र हैदरखान साहेबा पत्नी मोहम्मद खान हमीर खान पुत्र मोहम्मदखान कौम मुसलमान सा.खातेदार	1/2 1/6 1/6 1/12 1/6				0.53	हरा
आमद पुत्र चेना अमानत पत्नी चेना गाजी पुत्र चेना ठारू पुत्र चेना	1/16 1/16 1/16 1/16	402	3.8485	बा.दो.		

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:48:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

बहादुर पुत्र चेना भलेना पुत्र चेना सबोज पुत्र चेना हाजी पुत्र चेना जीला खां पुत्र अयुब खां पांधी पुत्र अयुब खां मदार खां पुत्र अयुब खां मनूखां पुत्र अयुब खां रूकायत पत्नी अयुब खां सातल खान पुत्र अयुब खां हापत खान पुत्र अयुब खान कौम मुसलमान सा.खातेदार भलीसर	1/16 1/16 1/16 1/16 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14				1.42	लाल
बहादुर पुत्र चेना सबोज पुत्र चेना कौम मुसलमाल सा.खातेदार भलीसर	1/2 1/2	402	0.4811	बा.दो.	0.18	काला
संयुक्त खातेदारी रास्ते हेतु		402	0.1214	गै.मु. रास्ता	–	भूरा

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

26/8/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमना–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:18:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–02/2019 दर्ज तिथिः–07.01.2019

1. सरीफ पुत्र जीयरा
2. दोसूखां पुत्र हेदरखान
3. भाईखां पुत्र हेदरखान
4. मेहमद खां पुत्र हैदरखान फौत के कायम मुकाम
   4/1 साहेबा पत्नी मोहमद खान
   4/2 हमीरखान पुत्र मोह़म्मद खान
   4/3 सोनी पुत्री मोहम्मद खान
   4/4 सोढी़ पुत्री मोहम्मद खान
   4/5 साल्या पुत्री मोहम्मद खान
   4/6 मारियत पुत्री मोहम्मद खान
   4/7 आसियत पुत्री मोहम्मद खान
   4/8 मैराबाई पुत्री मोहम्मद खान
   जाति मुसलमान,निवासी भलीसर, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

.....वादीगण

बनाम

1. ईस्माउल पुत्र खमीशा
2. गांजी पुत्र चेना
3. ठारू पुत्र चेना
4. बहादुर पुत्र चेना
5. सबोंज पुत्र चेना
6. हाजी पुत्र चेना
7. भलेना पुत्र चेना
8. आमद पुत्र चेना
9. अमानत बैवा चेना
10. मनुखान पुत्र अयुब खान
11. हापत खान पुत्र अयब खान
12. सातल खान पुत्र अयुब खान
13. जीलाखान पुत्र अयुब खान
14. मदाखान पुत्र अयुब खान
15. रूकामत पत्नी अयुब खान
    जाति मुसलमान,निवासी भलीसर, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।
16. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा धोरीमन्ना
17. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना
18. पांधी खान पुत्र अयुब खान
    जाति मुसलमान निवासी भलीसर,तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:18:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री देवाराम चौधरी

सरीफ बनाम ईस्माईल
2019/00047
निर्णय दिनांक–26.08.2025
प्रतिवादीगण–श्री ओमप्रकाश विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:पर्चा डिक्री:–

दावा वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 01 अन्तर्गत धारा–88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 402/7.8185 है0,किस्म बा.दोयम वाके ग्राम भलीसर पटवार हल्का भलीसर तहसील धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
इस्माईल पुत्र खमीशा जाति मुसलमान सा.भलीसर	1/4	402	1.9243	बा.दो	0.71	पीला
सरीफ पुत्र जीयरा दौसू पुत्र हैदरखान भाईखान पुत्र हैदरखान साहेबा पत्नी मोहम्मद खान हमीर खान पुत्र मोहम्मदखान कौम मुसलमान सा.खातेदार	1/2 1/6 1/6 1/12 1/6	402	1.4432	बा.दो	0.53	हरा
आमद पुत्र चेना अमानत पत्नी चेना गाजी पुत्र चेना ठारू पुत्र चेना बहादुर पुत्र चेना भलेना पुत्र चेना सबोज पुत्र चेना हाजी पुत्र चेना जीला खां पुत्र अयुब खां पांधी पुत्र अयुब खां मदार खां पुत्र अयुब खां मनूखां पुत्र अयुब खां रूकायत पत्नी अयुब खां सातल खान पुत्र अयुब खां हापत खान पुत्र अयुब खान कौम मुसलमान सा.खातेदार भलीसर	1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14	402	3.8485	बा.दो.	1.42	लाल
बहादुर पुत्र चेना सबोज पुत्र चेना कौम मुसलमाल सा.खातेदार भलीसर	1/2 1/2	402	0.4811	बा.दो.	0.18	काला

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:18:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

संयुक्त खातेदारी रास्ते हेतु		402	0.1214	गै.मु. रास्ता	–	भूरा

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 26.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुद्रा युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

26/8/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:18:34 IST
Reason: SelfAttested